माना0 न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महो0 राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

अपील कमांक / /2017 PBR/निगरानी/खण्डवा/भू.रा/2017/4020

प्रस्तुत दिनांकः–

पूनरीक्षणकर्ता :– विकमसिंह पिता स्व0 चंदरसिंह जाति बंजारा उम्र लगभग 65 वर्ष निवासी ग्राम नांदिया तहसील खण्डवा वृत्त सिंगोंट जिला खण्डवा

विरूद्ध

1. म0प्र0शासन द्वारा श्रीमान् जिला दण्डाधिकारी महो0 खण्डवा
2. वनमंडल अधिकारी महो0 सामान्य वनमंडल खण्डवा
3. अनुविभागीय अधिकारी महो0 राजस्व खंडवा जिला खण्डवा
4. तहसीलदार महो0 तहसील खंडवा वृत्त सिगोंट खंडवा जिला खण्डवा

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निम्नानुसार निवेदन है कि, मान. निम्न न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व खण्डवा ने अपंजीकृत प्रकरण कमांक ग्राम नांदिया तहसील खण्डवा वृत्त सिगोंट जिला खण्डवा में दिनांक 16.06.2017 को सूचना पत्र जारी करने से असंतुष्ट होकर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है।

निम्नानुसार निवेदन है कि :–

1. यह कि, पुनरीक्षणकर्ता के स्वामित्व की भूमि खसरा कमांक 269/1 एवं 270/2 ग्राम मौजा नांदिया जिला खण्डवा के सागौन वृक्षो को कांट लेने से मान अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महो0 राजस्व खण्डवा ने काटी गई काष्ठ के लिए दिनांक 16.6.2017 को अपंजीकृत प्रकरण कमांक में सूचना पत्र प्रेषित किया है जिसमें नायब तहसीलदार महो0 के द्वारा प्रतिवेदन के आधार पर अवैध रूप से काटा जाना बताया है। जो पूर्ण रूपेण विधि विरूद्ध और मनमाना है। तथा इससे दुखी एवं पीडित होकर यह पुनरीक्षण प्रस्तूत कर रहे है।

2. मध्यप्रदेश का राजपत्र दिनांक 07 दिसम्बर 2007 में प्रकाशित मध्यप्रदेश वृक्षों की कटाई का प्रतिषेध या विनियमन नियम 2007 के उपनियम–2 में विनिर्दिष्ट स्थान के वृक्ष नहीं होकर प्रावध अनुसार अनुमति की आवश्यकता नहीं रहने से कांट लिए है।

विकमसिंह पवार

[illegible]

DBR/निग/रायसेन/2017/अ-ना/4020

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.10.2017	आवेदक की ओर से श्री संदीप दुबे अभिभाषक ने उपस्थित होकर प्रकरण वापिस लेने का अनुरोध किया। अनुरोध स्वीकार किया जाता है। प्रकरण वापिस लेने से समाप्त किया जाता है।	
[signature]	[signature] अध्यक्ष	